भारत सरकार,
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय { मध्य क्षेत्र }

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,
सैक्टर एच, अलीगंज,
लखनऊ–226024
दूरभाष–2324025,
फैक्स–2326696

पत्र सं0 8 बी/राज/02/18/2005/एफ.सी. 1217

दिनाँक : 21.11.2006

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
राजस्थान शासन,
जयपुर ।

विषय : जिला करौली में खोह सिंचाई परियोजना हेतु 18.54 हे0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन ।
सन्दर्भ : राज्य सरकार की पत्र संख्या प0 1(48)वन/2005 दिनाँक 22.07.2005 ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी ।

अतः राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द सरकार जिला करौली में खोह सिंचाई परियोजना हेतु 18.54 हे0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करती है:–

1. राज्य वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित की जाने वाली 18.54 हे0 वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि के हस्तांतरण और नामान्तरण के लिए त्वरित कार्यवाही की जायेगी ।
2. याचक विभाग द्वारा राज्य वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात 18.54 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धनराशि जमा की जायेगी ।
3. राज्य सरकार क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि को सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/उप वन संरक्षक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी ।
4. याचक विभाग पारेषण लाईन के नीचे उचित संख्या में बौने वृक्षों के रोपण हेतु राशि वन विभाग के पक्ष में जमा करेगा ।
5. याचक विभाग माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. 566 में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि सम्बद्ध कोष में जमा करेगा और बाद में राज्य सरकार इस राशि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रबन्ध एवं योजना संस्था (Compensatory Afforestration, Management and Planning Agency) को हस्तांतरित करेगी ।

उपरोक्त शर्तों के परिपूर्ण होने सम्बन्धी परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा दो (2) के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी । याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा तब तक कार्यान्वित नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते ।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(एस0 एम0 सहाय)
उप–वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निदेशक एफ.सी., पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण), वन विभाग, वन भवन, वानिकी पथ, जयपुर, राजस्थान।
3. आदेश पत्रावली ।

(हस्ताक्षर)

(एस0 एम0 सहाय)
उप–वन संरक्षक (केन्द्रीय)

9/c